

- (20) G.S.R. 413(E), dated the 29th May, 2008.
- (21) G.S.R. 138(E), dated the 27th February, 2009.
- (22) G.S.R. 411(E), dated the 12th June, 2009.
- (23) S.O. 940(E), dated the 28th April, 2012.
- (24) S.O. 1521(E), dated the 6th July, 2012.
- (25) G.S.R. 216(E), dated the 21st March, 2015.
- (26) G.S.R. 804(E), dated the 19th August, 2016.
- (27) G.S.R. 416(E), dated the 17th June 2021.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, (मात्स्यिकी प्रभाग, समूह “क”, समूह “ख” और समूह “ग” पद) भर्ती नियम, 2015 को, जहां तक उनका संबंध मात्स्यिकी अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग में अनुसंधान अधिकारी (मात्स्यिकी), के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, अनुसंधान अधिकारी (मात्स्यिकी) भर्ती नियम, 2023 है।
2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान अधिकारी (मात्स्यिकी)	5* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर-10 (56100-177500 रुपये)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नत न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अंशकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति :

ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400) में सहायक अनुसंधान अधिकारी (मात्स्यिकी)।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष पात्रता सेवा जारी रहेगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-9 (53100-167800 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या,

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर -8 (47600-151100 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उसी श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; या,

(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में समकक्ष पदों पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हैं:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणि विज्ञान में स्नातकोत्तर या मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर या समद्री जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर या औद्योगिकी मात्स्यिकी में स्नातकोत्तर या जलकृषि में स्नातकोत्तर या मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर।

(ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान या वैधानिक या स्वायत्त संगठन से मात्स्यिकी विकास के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत नीति और योजना, योजना स्कीमों को विचारित करना और तकनीकी मूल्यांकन, उनकी निगरानी और कार्यान्वयन भी है।

टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार संवर्ग के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य- पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है
1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य	
3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य	
विभागीय पृष्ठीकरण समिति	
1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - अध्यक्ष	
2. उपायुक्त (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य	
3. अवर सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/4/2022 प्रशासन I]

सुशील कुमार झा, उप सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Fisheries)**

New Delhi, the 15th September, 2023

G.S.R. 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, (Fisheries Division, Group 'A', Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015 in so far as they relate to the post of Fisheries Research Investigation Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer (Fisheries) in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, Research Officer (Fisheries) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the pay matrix.**- The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.
3. **Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** - No Person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of posts.	Classification.	Pay Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer (Fisheries).	5* (2023) * subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix	Selection Post.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	Promotion failing which by deputation (including short-term Contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

Promotion :

Assistant Research Officer (Fisheries) in Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with five years' of regular service in the Grade.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite or qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the feeder post on regular basis on the date of notification of the revised rules.

Deputation (Including Short-Term Contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or Statutory or Autonomous Organisations or Public Sector Undertakings or Recognised Universities of Recognised Research Institutes:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 09 (Rs. 53100-167800) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or,
(iii) With four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-8 (Rs. 47600-151100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or,
(iv) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and,
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:
(i) Masters degree in Zoology with specialisation in Fisheries or Master of Fisheries Science or M.Sc. in Marine Biology or M.Sc. in Industrial Fisheries or M.Sc. in Aquaculture or Master of Science in Fisheries Science from a Recognised University or Institute.
(ii) Three years experience in the field of Fisheries development including policy and planning, formulation and technical evaluation of plan schemes, their monitoring and implementation from a Central or State Government or Union territory Administration department or Public Sector Undertaking or Recognised University or Research Institute or Statutory or Autonomous organisation.

Note 3: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 4: The Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee</p> <p>1. Chairman or Member, UPSC - Chairman</p> <p>2. Joint Secretary (Admn), Department of Fisheries - Member</p> <p>3. Director or Deputy Secretary (Admn), Department of Fisheries - Member</p> <p>Departmental Confirmation Committee</p> <p>1. Joint Secretary (Admn), Department of Fisheries - Chairman</p> <p>2. Deputy Commissioner (Fisheries), Department of Fisheries - Member</p> <p>3. Under Secretary (Admn), Department of Fisheries - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion</p>

[F. No. A-12018/4/2022 Admn I]

SUSHIL KUMAR JHA, Dy. Secy.

